"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2002—ज्येष्ठ 31, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जून 2002

क्रमांक 1605/1333/2002/एक /2.—डॉ. इंदिरा मिश्र, भा.प्र.से. (1969) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामोद्योग विभाग को आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री पंकज द्विवेदी, भा.प्र.से. (ए.पी-75) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा वित्त एवं योजना विभाग को आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री डी. एस. मिश्रा, भा.प्र.से. (1982) आयुक्त, वाणिज्यिक कर, आयुक्त आबकारी, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक तथा पदेन सचिव, वित्त एवं योजना तथा सचिव, मुख्य मंत्री, को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ आगामी आदेश तक सचिव, छ. ग. शासन, पर्यटन विभाग का कार्यभार भी सौंपा जाता है.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

4. श्री अजयपाल सिंह, भा. प्र. से. (1986) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग को आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्री सिंह शासन के विभिन्न मैनुअल को संशोधित करने का कार्य देखेंगे.

5. श्री एस. के. केहरि, भा. प्र. से. (1992) कलेक्टर, कवर्धा को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. श्री एम. वी. सुब्बारेड्डी, भा. प्र. से. (एम. टी.-93) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन एवं ऊर्जा विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक कलेक्टर, कवर्धा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. श्री एस. के. राजू, भा. प्र. से. (1998) अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर एवं आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर को वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नत करते हुये उन्हें आगामी आदेश तक कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं पदेन अपर कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2002

क्रमांक 1607/1330/2002/1/2.—भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017/6/2002-ए आई एस (1), दिनांक 8 मई 2002 द्वार[illegible] प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) के अंतर्गत डॉ. ए. जयातिलक, भा. प्र. से. (1991) एवं श्रीमती ईशिता राय, भा. प्र. से. (1991) को केरल राज्य संवर्ग से छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया है.

2. उक्त अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए पदों पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

1.	डॉ. ए. जयातिलक, भा.प्र.से. (91)	संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन, संचालक, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास निगम.
2.	श्रीमती ईशिता राय, भा.प्र.से. (91)	संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय तथा सामान्य प्रशासन विभाग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2002

क्रमांक 716/2002/1-8/स्था.—श्री बृजेश चन्द्र मिश्र, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, परिवहन एवं जेल विभाग को दिनांक 13-3-2002 से 1-4-2002 तक 20 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्र को पुन: उप-सचिव, गृह, परिवहन एवं जेल विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री मिश्र को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2002

क्रमांक 1560/1210/साप्रवि/2002/1/2.—श्री विवेक देवांगन, कलेक्टर, सरगुजा को दिनांक 17-6-2002 से 22-6-2002 (6 दिवस) तक का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 23 एवं 24 शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है. दिनांक 8-6-2002 से 16-6-2002 तक चेन्नई प्रशिक्षण हेतु अनुमति भी दी जाती है:

2. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देवांगन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

3. अवकाश काल में श्री देवांगन को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश से पूर्व मिलते थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री विवेक देवांगन को कलेक्टर सरगुजा के पद पर अस्थाई रूप से पुन: पदस्थ किया जाता है.

5. श्री देवांगन के अवकाश काल में उनके कार्य श्री विकास शील कलेक्टर कोरिया, अपने कर्त्तव्यों के साथ-साथ संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 1569/1229/साप्रवि/2002/1/2.—श्री एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर, रायगढ़ को दिनांक 10-6-2002 से 14-6-2002 (5

दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 8 जून 2002, 9 जून 2002 तथा अन्त में 15 एवं 16 जून 2002 को शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ध्रुव अवकाश पर नहीं जाते तो आपने कार्य पर कार्यरत रहते.

3. अवकाश काल में श्री ध्रुव को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश से पूर्व मिलते थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री ध्रुव को कलेक्टर रायगढ़ के पद पर अस्थाई रूप से पुन: पदस्थ किया जाता है.

5. श्री ध्रुव के अवकाश काल में उनके कार्य श्री आर. के. पिस्दा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, रायगढ़ अपने कर्त्तव्यों के साथ-साथ संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2002

क्रमांक एफ-1-1/2001/1/6.—राज्य शासन एवं द्वारा श्रीमती अमृता संजय, लाल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बिलासपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए श्रीमती अमृता संजय लाल को विधि अधिकारी के पद पर (वेतनमान 12,000-16,500) मानव अधिकार आयोग छत्तीसगढ़, रायपुर में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

2. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक् से जारी की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. रघुवंशी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2002

क्रमांक एफ. ए. 4-13/2002/एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री फखरूद्दीन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 15-2-2002 से दिनांक 8 मार्च 2002 तक 22 दिवस तक पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में 9 मार्च, 10 मार्च, 2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मई 2002

क्रमांक 547/35/2002/र.—**(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय.**

(1) पशुचिकित्सा सेवा

1. पशुपालन जिसमें पशुधन का परीरक्षण, संरक्षण तथा उसकी अभिवृद्धि शामिल है.
2. पशुचिकित्सा सेवाएं जिसमें पशु रोगों की रोकथाम तथा उनका उपचार शामिल है.
3. पशुचिकित्सा अनुसंधान.
4. समुन्नत प्रजनन.
5. चारा विकास.
6. जैविक संस्थायें.
7. विभागीय तकनीकी प्रशिक्षण.
8. समस्त प्रकार के पशुवध गृहों का पंजीकरण.
9. पशुवध कार्य का पर्यवेक्षण एवं मांस की गुणवत्ता नियंत्रण.
10. कुक्कुट पालन, प्रजनन एवं संवर्धन.
11. अण्डों एवं मांस की जांच एवं गुणवत्ता नियंत्रण.
12. पशुपालन गतिविधियों का सर्वेक्षण, विस्तार, विकास एवं सांख्यिकी.
13. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिसका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर उदाहरणार्थ नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्यावेदन).

(2) डेयरी सेवा

1. डेयरी गतिविधियों का सर्वेक्षण, विस्तार, समन्वय, विकास एवं सांख्यिकीय.
2. दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश 1992 के अंतर्गत पंजीयन.
3. विभागीय तकनीकी प्रशिक्षण.
4. दुग्ध सहकारी समितियों के गठन, पंजीयन, परिसमापन एवं विकास से संबंधित कार्य.
5. डेयरी उद्योग से संबंधित रोजगार मूलक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन.
6. दुग्ध उत्पादन, विपणन, उपभोग में वृद्धि एवं उत्पादन लागत में कमी हेतु कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते हुए डेयरी उद्योग का विकास.
7. दुग्ध, दुग्ध उत्पादों और पशु आहार की जांच एवं गुणवत्ता

नियंत्रण, सिंथेटिक दुग्ध, दुग्ध पदार्थों, पशु आहार के परिवहन, उत्पादन, भण्डारण, विक्रय की रोकथाम करना.

8. दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी उद्योग से संबंधित मानव संस्थान की गुणवत्ता वृद्धि कार्यक्रम.
9. चारा विकास.
10. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिसका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर उदाहरणार्थ नियुक्तियां, पद-स्थापनायें, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्यावेदन).

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम

1. मध्यप्रांत पशु रोग अधिनियम, 1934.
2. अश्वरोग अधिनियम, 1960.
3. ग्लैडर तथा फारसी अधिनियम, 1899.
4. कृषिक पशु परीक्षण अधिनियम, 1989.
5. मध्यप्रांत पशुधन सुधार अधिनियम, 1950.
6. मध्यप्रांत पशुवध अधिनियम, 1915.
7. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1860.
8. पशु (नियंत्रण) अधिनियम.
9. पशु अतिचार अधिनियम, 1871.
10. डूरीन अधिनियम, 1910.

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय—

1. संचालनालय, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल, निगम निकाय—

1. छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण.
2. रायपुर दुग्ध संघ.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थायें तथा निकाय—

1. छत्तीसगढ़ राज्य पशुचिकित्सा परिषद्.

(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा संबंधी विषय, यदि कोई हो—.

1. छत्तीसगढ़ पशुचिकित्सा सेवा :—

(एक) राजपत्रित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी.

(दो) अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक तथा लिपिक वर्गीय).

(तीन) चतुर्थ श्रेणी तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले.

2. छत्तीसगढ़ डेयरी सेवा :—

(एक) राजपत्रित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी.

(दो) अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक तथा लिपिक वर्गीय).

(तीन) चतुर्थ श्रेणी तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले.

Raipur, the 20th May 2002

No. 547/35/2002.—(A) Matters of policy dealt within the Department :—

(1) Veterinary Services

1. Preservation, protection and improvement of live stock.
2. Prevention and treatment of diseases in live stock.
3. Veterinary Research.
4. Biological institutes.
5. Registration of slaughter houses.
6. Supervision of slaughter houses quality control of meat.
7. Poultry including breeding and promotion.
8. Improved Breeding.
9. Fodder Development.
10. Department Technical Training.
11. Checking and quality control in respect of eggs and meat.
12. Servey extension development and statistics pertaining to A.H.
13. All matters relating the service with which the department is concerned (other than matters allotted to the Finance Department and the General Administration Department) e.g. appointments, postings, transfers, pay, leave, pensions, promotions, provident funds, deputations, punishments and memorials.

(2) Dairy Services

1. Survey extension development and statistics pertaining to Dairy activities.
2. Technical Traning.
3. DCS organization, registration, promotion and liquidation & development.
4. Execution of programmes for employment generation thourgh dairy industry.
5. Registration under milk and milk product order 1992.

6. Inspection and quality control in relation to milk & milk products and cattle feed. Prevention and prohibition of synthetic milk, milk products, cattle feeds transportation, production, storage, sales that of.
7. Activities pertaining to increasing production, distribution and consumption. Reduction in cost of milk production programme implementation & development of dairy industry.
8. Humen resources development in relation to milk production and dairy industry.
9. Fodder development.
10. All mattes relating the service with which the department is concerned (other than matters allotted to the Finance Department and the General Administration Department) e.g. appointments, postings, transfers, pay, leave, pensions, promotions, provident funds, deputations, punishments and memorials.

B. Act & Rules to be Framed and Administered by the Department.

1. The Cetral Provinces Cattle Diseases Act., 1934
2. Horse Sickness Act. 1960.
3. The Agricultural Cattle Preservation Act, 1959
4. The Central Provinces Livestock Improvement Act. 1950.
5. The Central Provinces slaughter of Animals Act, 1915.
6. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.
7. The Glanders and Farcy Act,. 1999
8. The Cattle Trespass Act, 1871.
9. The Dourine Act, 1910.
10. The Cattle Control Act.

Directorate & Offices under the Department :—

1. Directorate of Animal Husbandry & Dairy.

C. Boards and Corporation Setup under Acts :—

1. Chhattisgarh Rajya Pashudhan Vikas Abhikaran.
2. Raipur dugdh Sangh.

D. Name of services under Department and setup :—

1. Chhattisgarh Veterinray Services :—

(a) Gazetted class I & II
(b) Non-Gazatted class III.
(c) Class IV & contingency paid.

1. Chhattisgarh Dairy Services :—

(a) Gazetted class I & II
(b) Non-Gazatted class III.
(c) Class IV & contingency paid.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. एस. रे, प्रमुख सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

क्रमांक एफ 9-9/गृह/2002.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 एवं 30 जनवरी, 2001 को प्रश्न-पत्र "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया विषय" में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्चस्तर	
	रायपुर संभाग	
1.	श्री सोनमणि वोरा	सहायक कलेक्टर
2.	श्री संतोष कुमार देवांगन	डिप्टी कलेक्टर, (सश्रेय)
	बिलासपुर संभाग	
3.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर

2. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न-पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्न-पत्र में आगामी परीक्षाओं में बैठने से छूट प्रदान की जाती है.

स. क्र. (1)	नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्नपत्र (4)	स्तर (5)
	रायपुर संभाग			
1.	श्री तुलाराम पाल	राजस्व निरीक्षक	प्रथम एवं द्वितीय	निम्नस्तर
2.	श्री फूल सिंह ध्रुव	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ 9-31/गृह/2002.—आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 31 जनवरी 2002 को प्रश्न-पत्र "लेखा" (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्चस्तर	
	रायपुर संभाग	
1.	कु. आशा साण्डे	आबकारी उप-निरीक्षक
2.	श्री सत्यनारायण साहू	आबकारी उप-निरीक्षक (सश्रेय).
3.	श्री पोखन लाल साहू	आबकारी अधिकारी (सश्रेय).
4.	श्री संजय कुमार नामदेव	आबकारी उप-निरीक्षक (सश्रेय)
	बिलासपुर संभाग	
5.	श्रीमती कल्पना राठौर	आबकारी उप-निरीक्षक (सश्रेय).
6.	श्री नागेश्वर मिश्रा	आबकारी उप-निरीक्षक
7.	श्री अनिमेष नेताम	जिला आबकारी अधिकारी.
	निम्नस्तर	
	बिलासपुर संभाग	
1.	श्री अजय धुर्वे	आबकारी उप-निरीक्षक

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ 9-36/गृह/2002.—पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 1 फरवरी 2002 को प्रश्न-पत्र लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के) एवं लेखा द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्चस्तर	
	बस्तर संभाग	
1.	श्रीमती डॉ. सुनीता रॉय	पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
2.	डॉ. राकेश कुमार वर्मा	पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
3.	डॉ. पी. एल. सरल	पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
4.	डॉ. सुधीर पंचभाई	पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
5.	डॉ. ममता अग्रवाल	पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
6.	डॉ. धर्मदास चड़ार	पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
7.	डॉ. नीरज श्रीवास्तव	पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
8.	डॉ. भास्कर प्रसाद वर्मा	पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
9.	डॉ. अक्षय निगम	पशुचिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.

रायपुर, दिनांक 2 मई 2002

क्रमांक एफ 9-17/गृह/2002.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 30 जनवरी 2002 को प्रश्न-पत्र वन विधि प्रश्न-पत्र-1 (पुस्तकों के बिना) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्चस्तर	
	रायपुर संभाग	
1.	श्रीमती निर्मला लकड़ा	वन क्षेत्रपाल
2.	श्री भुनेश्वर सिंह ठाकुर	सहायक वन संरक्षक
	बस्तर संभाग	
3.	श्री रामसेवक बट्टी	वन क्षेत्रपाल

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु पिल्ले, संयुक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2002

क्रमांक 1082/डी-78/21-ब/छ.ग./2002.—राज्य शासन द्वारा उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 226/11-2-17/2001, दिनांक 14-1-2002 के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती अनुराधा खरे, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर में उप-सचिव के पद पर अन्य आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 17 मई 2002

क्रमांक 3626/डी-878/21-अ (स्था.)/छग.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, बिलासपुर की अनुशंसा पर श्री चन्द्रभूषण बाजपेयी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर तथा श्रीमती राजू दिवेकर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की सेवाएं उच्च न्यायालय, बिलासपुर से छत्तीसगढ़ शासन को सौंपते हुए इनकी नियुक्ति विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उप सचिव के पद पर आगामी आदेश तक करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. जैन, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2002

क्रमांक फा. 3 (ए)/4/2002/21-ब.—राज्य शासन द्वारा श्री एन. एस. राजपूत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर की सेवायें राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण, रायपुर में पीठासीन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2002

क्रमांक 1080/डी-78/21-ब/छ.ग./2002.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 226/11-2-17/2001, दिनांक 14-1-2002 के परिप्रेक्ष्य में श्री एच. आर. गुरूपंच, उप-सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग की सेवाएं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर में विधि अधिकारी/विधिक सलाहकार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर को सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2002

संशोधन

क्रमांक 2584/315/2002/21-ब.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1359/315/2002/21-ब, दिनांक 21 फरवरी, 2002 को संशोधित करते हुये भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्रमांक 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर आफ रिलीजन) रेव्ह क्रिस्टोफर पॉल, छत्तीसगढ़ सामाजिक सेवा समिति, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ पंजीयन क्रमांक 6420 द्वारा संचालित चर्च के पास्टर को :—

(1) विवाह अनुष्ठापित कराने, और
(2) भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण जिलों के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

Raipur, the 8th April 2002

AMENDMENTS

No. 2584/315/2002/21-B.—For amendment of previous Notification No. 1359/315/ 2002/21-B dated 21st Feb. 2002, the following Notification shall be substituted, namely

In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government are pleased to grant license to the Minister of Religion "Rev. Kristopher Paul" the church of Chhattisgarh Samajik Seva Samiti, Rajnandgaon, Chhattisgarh Reg. No. 6420, for the whole State of Chhattisgarh :—

(1) The solemnize marriage, and
(2) To grant certificate of marriages between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2002

क्रमांक 3574/डी-968/21-ब/छ. ग./2002.—स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक-61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1775/डी-424/21-ब/छ.ग., दिनांक 23-4-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक 1775/डी-424/21-ब/छ.ग., दिनांक 23-4-2001 के अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों के स्थान पर उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारी को कॉलम (4) में उल्लिखित जिले में पदस्थ किया जाता है, अर्थात् :—

अ. क्र.	विद्यमान पीठासीन अधिकारी का नाम	पदस्थ न्यायिक अधिकारी का नाम	जिले का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री आर. एन. चन्द्राकर.	श्री जी. सी. वाजपेयी.	सरगुजा (अंबिकापुर)

Raipur, the 15th May, 2002

No. 3574/D-968/21-B/Chh./2002.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotics, Drug and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985) and with the concurence of the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, the State Government hereby makes the following amendment in this department Notification No. 1775/D-424/21-B/Chh., dated 23-4-2001.

AMENDMENT

In the Notification No. 1775/D-424/21-B/Chh., dated 23-4-2001 for the officer mentioned in column (2) of the schedule below the officer mentioned in column (3) shall be posted at the place mentioned in column (4) of the said schedule, namely :—

S. No.	Name of the existing presiding Officer.	Name of the newly posted judicial Officer.	Name of the District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri R. N. Chandrakar	Shri G. C. Bajapai.	Sarguja (Ambikapur)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 मई 2002

क्रमांक 3817/1279/21-ब (छग)/2002.—इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1872 (भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872) (क्रमांक-15 सन् 1872 की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, डॉ. अजय एल. लाल मिड, इंडियन क्रिश्चियन सर्विसेस, दमोह को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय ईसाईयों के बीच :—

(1) विवाह सम्पन्न कराने हेतु, तथा,
(2) विवाहों के प्रमाण-पत्र मंजूर करने के लिए,

अनुज्ञप्ति प्रदान करता है.

Raipur, the 31st May 2002

No. 3817/1279/21-B/Chh./2002.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. XV of 1872), the State Government are pleased to grant licence to Dr, Ajay L. Lal, MID Indian Christian Services Damoh :—

(i) to soleminized Marriages; and
(ii) to grant certificate of Marriages between the Indian Christian in the whole of the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2002

क्रमांक भू-अर्जन/1/अ-8/2/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम- भटगांव, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.024 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	45	0.020
	44	0.078
	43/1	0.045
	41/1	0.032
	42	0.073
	41/3	0.041
	40	0.008
	37	0.036
	38/1	0.020
	38/2	0.032
	38/3	0.045
	36	0.004
	34	0.085
	35	
	33/2	0.032
	32	0.053
	31/1	0.016
	26/6	0.101
	31/2	0.032
	30	0.004
	26/7	0.008
	26/3	0.020
	26/2	0.024
	23	0.098
	22/1	0.020
	24	0.028
	25/1	0.069
योग	26	1.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना के वितरण शाखा क्र. 22-अ के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम- सलौनीकला, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.693 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1457	0.073
1458/1	0.085
1464	0.041
1734/2	0.040
1465	0.041
1468	0.041
1469/1	0.053
1470	0.045
1701	0.012
1718	0.024
1471/1	0.020
1626	0.061
1625	0.061
1615/2	0.008
1615/1	0.012
1624	0.088
1706	0.016
1616	0.061
1736/1	0.024
1618/1	0.013
1617	0.112
1607/2	0.036
1708/3	0.040
1606	0.012
1604	0.008
1605/1	
1702	0.020
1705/2	0.033
1692/2	0.117
1690	0.016
1693/5	0.152
1694/6	
1693/3	
1694/4	
1693/2	0.036
1694/3	
1703	0.028
1705/1	0.041
1714	0.012
1736/2	0.032
1715/2	0.016
1717	0.008
1735	0.004
1734/1	0.041
1734/4	0.033
1736/4	0.008
1736/3	0.008
1733/3	0.020
1694/1	0.008
1671/3	0.020
1623/1	0.013
योग 46	1.693

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना के वितरण शाखा क्र. 24 के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2002

क्रमांक भू-अर्जन/3/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम- ठरकपुर, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.625 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
650/1	0.044
395/1	0.012

(1)	(2)
650/2	0.061
654	0.036
143/2	0.020
475	
655	0.008
653/2	0.008
628/1	0.041
628/3	0.041
443	0.004
395/3	0.121
395/4	
444/2	0.056
446/2	0.032
406/2	0.028
444/3	0.025
397	0.020
444/4	0.041
401	0.016
445	0.093
449	0.049
150/2	0.012
446/1	0.004
450	0.053
452	0.032
453/1	0.008
483	0.186
193/1	0.147
157	0.041
142	0.032
110	0.105
485	0.016
463	0.004
464	
468	0.028
465	0.048
467/3	0.028
469	0.004
416	0.004
150/1	0.081
151/2	0.012
158	0.036
148	0.024
149	0.041

(1)	(2)
147	0.032
438	0.056
440	
145	0.016
146	
156	0.036
159	0.016
160	
407	0.045
101/1	0.041
427	0.020
433	
434/1	
435/1	
436	
437	
101/2	0.033
108	0.040
109	0.032
399	0.032
446/6	0.020
155/1	0.012
451	0.008
427	0.041
433	
434/3	
435	
436	
437	
395	0.020
427	0.045
433	
434/2	
435	
436	
437	
428/1	0.085
413	0.033
415	
442/2	0.008
409	0.012
410	
411	0.041
412	

(1)	(2)
408	0.021
391/2 394/1	0.024
398/2	0.032
396	0.025
649	0.004
628/2	0.008
653/1	0.081
453/2	0.004
योग 73	2.625

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना के वितरण शाखा क्र. 20 के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2002

क्रमांक भू-अर्जन/4/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम- चुरेला, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.400 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
263/1	0.028
264	0.047
181 182/2	0.021
184/1	0.053
186/2	0.028
267/3	0.033
100/4	0.056
184/2 185 266/2 267/1	0.078
267/2	0.061
154/6	0.009
183	0.101
156	0.164
182/1	0.041
182/3	0.061
116	0.121
108/1	0.065
107	0.057
104	0.111
103/1	0.053
103/2	0.041
102	0.016
101/1	0.139
100/3	0.016
योग 23	1.400

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोक व्यपवर्तन योजना वितरक शाखा क्र. 19 का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2002

क्रमांक भू-अर्जन/5/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायपुर
 (ख) तहसील-बिलाईगढ़
 (ग) नगर/ग्राम- सलौनलकला, प. ह. नं. 13
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.199 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
388/13	0.080
438/2+4	0.061
473	0.008
472	0.020
471/1	0.052
471/2	0.016
471/3	0.053
469/1	0.056
469/2	0.045
468/2	0.111
1887/2	0.046
1887/1	0.061
438/1	0.056
438/3	0.032
463	0.033
464/3	0.061
470/1	0.036
470/2	0.024
388/7	0.098
694	0.020
695	0.024
693	0.068
474	0.012
388/10	0.047
388/2	0.008
470/3	0.004
438/5	0.047
407/2	0.020
योग 28	1.199

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना के वितरण शाखा क्र. 22 के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 22 मई 2002

रा.प्र.क्र/56/अ-82/89-90.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-सरगुजा
 (ख) तहसील-अम्बिकापुर
 (ग) नगर/ग्राम- नवडीहा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.481 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
30	0.081
87	0.097
52	0.105
71	0.089
61	0.129
88	0.113
117	0.073
102/4	0.121
35	0.154
102/5	0.162
79	0.014
51	0.065
78/2	0.170
118	0.202
63/3	0.085
102/6	0.170
36	0.105
53	0.089
102/2	0.065

(1)	(2)
63/1	0.049
63/2	0.036
119/2	0.073
102/3	0.073
102/7	0.162
योग	2.481

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-गगौली उद्वहन योजनांतर्गत नवडीहा में नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 मई 2002

रा.प्र.क्र/80/अ-82/89-90.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम- जोगीबांध
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.453 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
230	0.061
238/2	0.372
229	0.020
योग	0.453

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-केरा-कछार जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 मई 2002

रा.प्र.क्र/05/अ-82/89-90.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम- मेण्ड्राखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.110 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
174/4	0.032
636	0.056
455/6	0.041
353	0.028
535	0.048
531/1	0.012
632/2	0.024
174/6	0.032
655/7	0.048
373	0.041
583	0.020
343	0.024
633	0.048
632	0.024
632/7	0.016
550	0.032
584	0.026
531/2	0.012
561	0.073
655/2	0.032

(1)	(2)
559	0.024
533	0.041
578	0.024
531/3	0.016
635	0.112
174/5	0.041
352	0.064
520	0.057
552	0.032
551	0.032
योग	1.110

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अर्चना जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 मई 2002

रा.प्र.क्र/06/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम- सुखरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
713/1	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-श्याम घुनघुट्टा परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 मई 2002

रा.प्र.क्र/07/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम- सपना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.202 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
491/2	0.074
588	0.073
598/3	0.073
624/9	0.207
589/2	0.024
491/4	0.068
590/3	0.036
618/1	0.065
584/1	0.038
578	0.096
595	0.078
618/2	0.065
584/2	0.009
579	0.029
598/1	9.114
624/3	0.121
584/3	0.032
योग	1.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बांकीपुर जलाशय के दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 मई 2002

रा.प्र.क्र/08/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम- जोगीबांध
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.453 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
230	0.061
238/2	0.372
229	0.020
योग	0.453

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-केरा-कछार जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र हेतु .

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 मई 2002

रा.प्र.क्र/09/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम- बांकीपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.935 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/26	0.105
24	0.101
1/44	0.405
27/2	0.060
22	0.073
1/2	0.276
1/14	0.196
1/15	0.016
8	0.032
25	0.105
7	0.016
3/2	0.069
16	0.121
48	0.049
27/4	0.144
1/18	0.012
51/2	0.065
49	0.009
23	0.081
योग	1.935

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-बांकी जलाशय के दायीं तट के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 मई 2002

रा.प्र.क्र/15/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम- सोनपुर कला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.117 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	26	0.117
योग		0.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
बी-9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली-110016

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2002

क्रमांक C/COS/13063/608.—राजकीय पत्रों एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के मध्य अन्तरक्षेत्रीय परियोजना से संबंधित अधिसूचना में सम्मिलित करने के लिए अतिरिक्त सूचना.

जैसाकि, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उपरोक्त परियोजना से संबंधित अधिसूचना को विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29 (2) के अंतर्गत, उड़ीसा राज्य (कटक) के राजपत्र दिनांक 22 मई, 1999 तथा मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्र दिनांक 28 मई, 1999 एवं समाचार पत्रों में भी यथा (क) एशियन ऐज तिथि 2 जून, 1999 (ख) समाज तिथि 21 मई, 1999 (ग) एम. पी. क्रोनिकल तिथि 14 मई, 1999 तथा (घ) दैनिक भास्कर तिथि 22 मई, 1999 में प्रकाशित करवाया था.

एवं जैसाकि, उक्त योजना में, जो कि राजपत्रों एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी, उड़ीसा राज्य के झारसुगड़ा जिला का उल्लेख नहीं था तथा हाल ही में एक नए राज्य की स्थापना के कारण रायपुर जिला अब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है.

एवं जैसाकि, उड़ीसा राज्य में झारसुगड़ा जिला को सम्मिलित करने हेतु तथा रायपुर राज्य की स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य में दर्शाने हेतु इस अतिरिक्त सूचना के प्रकाशन की आवश्यकता है.

इसके अलावा सभी सूचनाएँ जो कि उड़ीसा राज्य (कटक) के राजपत्र दिनांक 22 मई, 1999 एवं समाचार पत्रों में भी यथा (क) एशियन ऐज तिथि 2 जून, 1999 (ख) समाज तिथि 21 मई, 1999 (ग) एम. पी. क्रोनिकल तिथि 14 मई, 1999 तथा (घ) दैनिक भास्कर तिथि 22 मई, 1999 में प्रकाशित की गई थी. जिसमें की अधिसूचना के प्रतिनिधित्व के लिए दिया गया 2 माह का समय भी सम्मिलित है, में कोई बदलाव नहीं है.

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के आदेश से
तथा उसकी ओर से
सही/-
(दिव्या टंडन)
कंपनी सचिव.

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Government of India Enterprise)
B-9, QUTAB INSTITUTIONAL AREA, KATWARIA SARAI,
NEW DELHI-110016

New Delhi, , the 28th January 2002

No. C/COS/13063/569.—Addendum to the notification of the Scheme namely "Eastern and Western Inter-regional link" under Section 29 (2) of the Electricity (Supply) Act, 1948 published in the States Gazette and newspapers.

Whereas, Power Grid Corporation of India Limited had published the above scheme under Section 29 (2) of the Electricity (Supply) Act, 1948, in the State Gazette of Orissa, Cuttack dated 22nd May, 1999 and in State Gazette of Madhya Pradesh dated 28th May, 1999 and also in the Newspapers (a) Asian Age dated 2nd June, 1999 (b) Samaj dated 21st May, 1999 (c) M. P. Chronicle dated 14th May, 1999 & (d) Dainik Bhaskar dated 22nd May, 1999.

And whereas, in the said scheme published in the State Gazettes and in newspapers the name of Distt. Jharasuguda in Orissa was inadvertently not mentioned. Further location of Raipur district which was mentioned to be in Madhya Pradesh, now falls in Chhattisgarh due to the recent formation of new State.

And whereas, this Addendum is required to be published to add the Distt. Jharasuguda as one of the District in Orissa and for the location of Raipur District in Chhattisgarh State.

All other information as published in the Orissa Gazette dated 22nd May, 1999, M. P. Gazette dated 28th May, 1999 and in the Newspapers-(a) Asian Age dated 2nd June; 1999 & (b) Samaj dated 21st May, 1999 (c) M. P. Chronicle dated 14th May, 1999 & (d) Dainik Bhaskar dated 22nd May, 1999 including the time period of two months for making representation, if any remains unchanged.

By the order and on behalf of Power Grid
Corporation of India Ltd.

Sd/-
(Divya Tandon)
Company Secretary.

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

बी-9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,

नई दिल्ली-110016

समाचारपत्रों एवं राज्यों के गजटों में प्रकाशित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29 (2) के अंतर्गत "सीपत (3×660 मेगावाट) पारेषण प्रणाली परियोजना" नामक योजना की सूचना के संबंध में शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 2002

क्रमांक C/COS/13052.—जवकि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उपरोक्त योजना को विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29 (2) के अंतर्गत राज्यों के गजटों में-छत्तीसगढ़ में 16 मार्च, 2001 (अंग्रेजी व हिन्दी), मध्यप्रदेश में 9 मार्च, 2001 (अंग्रेजी) एवं 23 मार्च, 2001 (हिन्दी), महाराष्ट्र में 3 मई, 2001 (अंग्रेजी)/7 जून, 2001 (हिन्दी) एवं 20 सितंबर, 2001 (प्रादेशिक भाषा) तथा गुजरात में 3 अप्रैल, 2001 एवं 20 अगस्त, 2001 (प्रादेशिक भाषा) तथा समाचार पत्रों में 13/14/16 मार्च, 2001 को प्रकाशित किया था.

जवकि सीपत पावर के आवंटन में महाराष्ट्र राज्य द्वारा हाथ खींच लेने के फलस्वरूप पूर्व सूचित एवं प्रकाशित उपरोक्त योजना के कार्यक्षेत्र में कुछ कमी/बढ़ोतरी/अन्य सुधार आवश्यक हो गये हैं. उपरोक्त योजना में कमी/बढ़ोतरी/अन्य सुधार उक्त अधिनियम की धारा 29 (2) के अनुसार इस शुद्धि पत्र द्वारा निम्नानुसार सूचित तथा अधिसूचित किये जा रहे हैं.

1.0 विषय योजना में की गई कमी का विवरण

		राज्य	जिला
(i)	400 केवी डी/सी सिओनी-भण्डारा पारेषण लाइन (145 कि.मी.)	मध्यप्रदेश महाराष्ट्र	सिओनी बालाघाट, भण्डारा, नागपुर
(ii)	400 केवी डी/सी खण्डवा-औरंगाबाद पारेषण लाइन (300 कि.मी.)	मध्यप्रदेश महाराष्ट्र	पूर्वी नीमार, खण्डवा जलगांव, औरंगाबाद
(iii)	भण्डारा में (19 कि.मी.) पर 400 केवी एस/सी भिलाई-कोराडी पारेषण लाइन का लिलो.	महाराष्ट्र	भण्डारा, नागपुर
(iv)	खण्डवा में (2×30 कि.मी.) 400 केवी डी/सी इटारसी-धूले पारेषण लाइन का लिलो.	मध्यप्रदेश	पूर्वी नीमार, खण्डवा, होशंगाबाद.
(v)	भण्डारा सब स्टेशन (नया), औरंगाबाद एक्सटेंशन		
(vi)	खण्डवा सब स्टेशन (नया) [2 नग 400 केवी लाइन बेज तथा 2 नग 420 केवी, 80 एम वी ए आर लाइन रिएक्टर को छोड़कर जो खण्डवा (एक्सटेंशन) के अंतर्गत आएगी].		

2.0 विषय योजना में वृद्धि का विवरण

(i)	सिओनी में (7 कि. मी.) 400 केवी एस/सी भिलाई-सतपुड़ा पारेषण लाइन का लिलो.	मध्यप्रदेश	सिओनी

3.0 योजना में अन्य सुधारों का विवरण :

छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर और दुर्ग जिले से गुजरने वाली रायपुर-चंद्रपुर 400 केवी डी सी पारेषण लाइन (344 किमी) जिसे पहले सीपत (3×660 मेगावाट) पारेषण प्रणाली परियोजना के अंतर्गत पूरा करना तय किया गया था, अब अलग से पावर ग्रिड द्वारा पश्चिमी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत पूरी की जायेगी. उक्त पारेषण लाइन की स्थिति तथा अन्य विवरण जैसा पहले दर्शाया गया था, यथावत रहेगा.

प्रारम्भन :

परिमार्जित सीपत (3 × 660 मेगावाट) पारेषण प्रणाली परियोजना भारत सरकार की स्वीकृति/वित्तपोषण सहबद्धता, जो भी बाद में हो, की तिथि से 48 माह के दौरान चालू किए जाने का प्रस्ताव है, जो कि जनरेशन परियोजना के प्रारंभन से मेल खाते हुए होगी.

रायपुर-चंद्रपुर 400 केवी पारेषण लाइन स्वीकृति/वित्तपोषण सहबद्धता, जो भी बाद में हो, की तिथि से 33 माह के भीतर प्रारंभ होनी तय है.

अनुमानित लागत :

परिमार्जित सीपत (3 × 660 मेगावाट) पारेषण प्रणाली परियोजना की अनुमानित लागत 2001 के चौथे तिमाही के मूल्यस्तर पर रु. 1644.45 करोड़ (रु. 165.72 करोड़ की आई डी सी एवं रु. 12.19 करोड़ वित्तीय प्रभार सहित) है और सांकेतिक परिपूर्णन मूल्य रु. 1850.76 करोड़ (रु. 178.67 करोड़ की आई डी सी और वित्तीय प्रभार रु. 13.58 करोड़ सहित है).

रायपुर-चंद्रपुर पारेषण प्रणाली की अनुमानित लागत वर्ष 2001 के चौथे तिमाही मूल्य स्तर पर रु. 244.00 करोड़ (रु. 26.40 करोड़ की आई डी सी सहित) और सांकेतिक परिपूर्णन मूल्य रु. 261.95 करोड़ (रु. 27.71 करोड़ की आई डी सी सहित) है.

इस शुद्धि पत्र को उपरिलिखित पूर्व प्रकाशित अधिसूचना के संदर्भ में रखकर पढ़ा जाए.

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से
तथा आदेशानुसार
सही/-
(दिव्या टंडन)
कंपनी सचिव.

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Government of India Enterprise)
B-9, QUTAB INSTITUTIONAL AREA, KATWARIA SARAI,
NEW DELHI-110016

Corrigendum to notification of the Scheme namely "Sipat (3 x 660 MW) Transmission System Project" under Section 29 (2) of Electricity (Supply) Act, 1948, published in Newspapers and States Gazettes

New Delhi, the 21st May 2002

C/COS/13052.—Whereas Power Grid Corporation of India Limited had published the above scheme under Section 29 (2) of the Electricity (Supply) Act, 1948, in the States Gazettes of Chhattisgarh on 16th March, 2001 (English & Hindi), Madhya Pradesh on 9th March 2001 (English) & 23rd March, 2001 (Hindi), Maharashtra on 3rd May, 2001 (English)/7th June, 2001(Hindi) & 20th September, 2001 (Vernacular) and Gujarat on 3rd April, 2001 & 20th August, 2001 (vernacular) and Newspapers on 13th/14th/16th March, 2001.

Whereas consequent upon withdrawing of Maharashtra State from the allocation of Sipat power, certain deletions/addition/other modifications have become necessary in the scope of the said scheme already informed and published. The said deletions/addition/other modifications to the scheme are informed and notified as follows through this corrigendum in terms of Section 29 (2) of the aforsaid Act.

1.0 Detail of the deletions from the subject scheme

		State	District
(i)	400 KV D/C Seoni-Bhandara Trans. Line (145 km)	Madhya Pradesh	Seoni
		Maharashtra	Balaghat, Bhandara, Nagpur.
(ii)	400 KV D/C Khandwa-Aurangabad Trans Line (300 kms)	Madhya Pradesh	East Nimar, Khandwa.
		Maharashtra	Jalgaon, Aurangabad
(iii)	LILO of 400 KV S/C Bhilai-Koradi Trans. Line at Bhandara (19 kms)	Maharastara	Bhandara, Nagpur.
(iv)	LILO of 400 KV D/C Itarsi-Dhule Trans. Line at Khandwa (2x30 kms.)	Madhya Pradesh	East Nimar, Khandwa, Hoshangabad.
(v)	Bhandara Sub-station (New), Aurangabad Extn.		
(vi)	Khandwa Sub-station (New) (except. 2 Nos. 400 KV Line bays and 2 Nos. 420 KV, 80 MVAR line reactor which shall be covered at Khandwa (Extension).		

2.0 Details of the addtions to the subject scheme :

(i)	LILO of 400 KV S/C Bhilai-Satpura Trans. Line at Seoni (7 kms).	Madhya Pradesh	Seoni

3.0 Details of the other modification of Scheme.

Raipur-Chandrapur 400 KV D/C Transmission Line (344 kms) passing through Raipur and Durg districts of Chhattisgarh State which earlier was envisaged to be implemented under Sipat (3 x 660 MW) Transmission System project, now is being implemented separately by POWERGRID as Western Region Strengthening Scheme. The locational and other details of the said transmission line as indicated earlier shall remain unaltered.

Commissioning :

The modified Sipat (3 x 660 MW) Transmission System Project is scheduled to be commissioned within 48 months from the date of GOI approval/funding tie-up, whichever is later, matching with the commissioning schedule of the generation project.

Raipur Chandrapur 400 KV Transmission Line is scheduled to be commissioned within 33 months from the date of approval/funding tie-up of the scheme, whichever is later.

Estimated Cost :

Estimated cost of the modified Sipat (3 x 660 MW) Transmission System Project is Rs. 1644.45 crores (including IDC of Rs. 165.72 crores and Financing charges of Rs. 12.19 crores) at IVth Quarter 2001 price level and indicative completion cost is Rs. 1850.76 crores (including IDC of Rs. 178.67 crores and Financing charges of Rs. 13.58 crores).

Estimated cost of the Raipur-Chandrapur Transmission System is Rs. 244.00 crores (including IDC of Rs. 26.40 crores) at IVth Quarter 2001 price level and indicative completion cost is Rs. 261.95 crores (including IDC of Rs. 27.71 crores).

This corrigendum may be read in conjunction with the Notification already published as referred above.

By the order and on behalf of Power Grid Corporation of India Ltd.

Sd/-
(Divya Tandon)
Company Secretary.

उच्च न्यायालय के आदेश एवं अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2001

क्रमांक 4933/दो-14-1/2001.—निम्नलिखित चयनित अभ्यार्थियों को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 6500-200-10500/- में नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित आगामी आदेश पर्यन्त परीवीक्षा पर 2 वर्ष के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :—

(1) श्री महेश्वर प्रसाद बिसोई
(2) श्री गणेश झा
(3) श्री अशोक कुमार शर्मा,
(4) श्री सी. एस. चौहान
(5) श्री निर्मल कुमार कानूनगो
(6) श्री अशेष श्रीवास्तव
(7) श्री सुदर्शन आइंड

(8) श्री हिमांशु कुमार सिन्हा
(9) श्री धनंजय कुमार "शशि"
(10) श्री कुमार अनिमेष

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे.

2. यह कि, उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे.

3. यह कि, वे बिना पूर्व अनुमति के आगे किसी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन नहीं करेंगे, और न ही स्वाध्यायी छात्र के रूप में किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे. यदि वे अध्ययन करते हुए अथवा परीक्षा में सम्मिलित होते हुए पाये गये तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.

4. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी.

5. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बतायें समाप्त की जा सकेगी और वे सेवा से पृथक् होना चाहेंगें तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा एक माह का वेतन भत्तों को स्वत्व छोड़ना होगा. अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करना होगा.

6. यदि चयन किए गए अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 9-11-2001 तक अपने पद का कार्यभार ग्रहण न किया जावे तो यह नियुक्ति, यदि रजिस्ट्रार जनरल महोदय द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय न दिया जावे तो, स्वमेव निरस्त मानी जावेगी.

7. यह कि, वे सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्यता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसका व्यय उन्हें स्वयं उठाना होगा.

8. यह कि, वे सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्यता के प्रमाण-पत्र प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा.

9. यह कि, प्रत्येक अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्यवाही किसी भी न्यायालय में विचारण हेतु अथवा किसी थाने पर अनुसंधान हेतु लंबित नहीं है, एवं यह कि पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा एवं असत्य शपथ पत्र देने संबंधी दाण्डिक अभियोजन के भागी हो सकेंगे.

10. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य है, और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन व लोप होंगे वे भी उसे मान्य होंगे. अभ्यर्थी से इन सभी शर्तो में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हो प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा.

11. अभ्यार्थियों की विभागीय वरीयता उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नहीं अपितु प्रावीण्य सूची में उनके क्रम से शासित होगी.

12. आपकी नियुक्ति आपके शिक्षा, जाति, उम्र एवं विभागीय अनापत्ति (यदि वर्तमान में किसी विभाग में कार्यरत हो तो) प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति एवं उसके सत्यापन पर सही पाये जाने की पूर्ववर्ती शर्त पर ही होगी.

13. परीवीक्षा की निर्धारित अवधि बढ़ाई नहीं जायेगी. इस अवधि में कार्य संतोषप्रद न पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जावेगी.

Bilaspur, the 14th December 2001

No. 5611/II-3-16/-2000.—Pursuant to final allocation Order No. 1/2001 dated 7-12-2001 letter No. 14/46/2001-S.R. (S) issued by Department of Personnel, Public Grievances and Pension. Government of India, New Delhi, in exercise of its power under sub-section (2) of Section 68 of the Madhya Pradesh State Re-organization Act, 2000. the High Court of Chhattisgarh, hereby directs that Shri Anurag Kumar Shrivastava, Additional District Judge, Sakti District Bilaspur and Shri Prahlad Gajjam. I Civil Judge, Class-II, Dhamtari, District Raipur, who have been finally allocated to the State of Madhya Pradesh should hand over charge of their present post as early as possible, so as to be able to report for duty on or before 20-12-2001 in the Registry of the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur or at such place as may be ordered by the High Court of Madhya Pradesh.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक 403/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ कु. सरोजनंद दास, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, रायपुर, जिला रायपुर में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक 403/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ कु. प्रिसिला इक्का, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, रायपुर, जिला रायपुर में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक 405/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री एस. एन. सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, रायपुर, जिला रायपुर में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक 407/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री जितेन्द्र कुमार जैन, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, रायपुर, जिला रायपुर में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक 409/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री विजय कुमार होटा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, बलौदा बाजार, जिला रायपुर में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक 413/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री संजय कुमार सोनी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, जांजगीर, जिला बिलासपुर में पदस्थापित है, को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान करता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
टी. के. झा, रजिस्ट्रार जनरल.

Bilaspur, the 18th January 2002

No. 478/II-2-1/2002 (Pt. I).—In exercise of powers conferred by Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice, hereby, appoints Shri Rangnath Chandrakar, Special Judge, Ambikapur as District Judge (Vigilance), Raipur and Shri Ashok Kumar Panda, Additional District Judge, Dhamtari as Additional Registrar (District Establishment), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur from the date they assume charge of their duties.

बिलासपुर, दिनांक 29 जनवरी 2002

क्रमांक 666/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्रीमती किरण चतुर्वेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग जो राजस्व जिला दुर्ग में पदस्थापित हैं को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 जनवरी 2002

क्रमांक 668/तीन-6-8/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्रीमती नीता यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग जो राजस्व जिला दुर्ग में पदस्थापित हैं को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

Bilaspur, the 11th February 2002

No. 1000/II-2-1/2002 (Part II).—The High Court of Chhattisgarh hereby, appoints the following member of Higher Judicial Service specified in column No. (2) of the table below as Additional District & Sessions Judge of the Court specified in column No. (3) from the date he assumes charge of his duties, viz :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	Appointed in the court of (3)
1.	Shri Tapan Kumar Chakravarti, Additional, District & Sessions Judge, Raipur.	I Additional District & Sessions Judge, Raipur.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2002

क्रमांक 1042/तीन-6-1/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम क्रमांक 2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना क्रमांक 2593/तीन-6-1/2000, दिनांक 28 जून 2001 को अतिष्ठित करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 (सन् 1966 का 29) एवं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (सन् 1890 का 9) की धारा 47, 100, 101, 102, 104, 107 से 114 तथा 116 से 130 के अंतर्गत रेलभूमि के उस भाग, जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित हैं, में होने वाले अपराधों के विचारण के लिये छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2117/इक्कीस-ब (छ. ग.)/2001, दिनांक 16 मई 2001 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का 2) की धारा 11 (1) के अधीन निर्मित विशेष न्यायालय का, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम (2)	मुख्यालय (3)	स्थानीय क्षेत्र (4)
1.	श्री नरेन्द्र सिंह चावला	बिलासपुर	बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा-स्थान अंबिकापुर, रायपुर.

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पूर्व में जारी किया गया आदेश क्रमांक 771/तीन-6-1-2000, दिनांक 31 जनवरी 2002 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 12th February 2002

No. 1042/III-6-1/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), and in supersession of its Notification No. 2593/III-6-1/2000, dated 28th June, 2001 the High Court of Chhattisgarh, hereby appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government

of Chhattisgarh under Section 11 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. 2117/21-B (C.G.)/2001, dated 16th May 2001 for trial of offences under the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under Secion 47, 100, 101, 102, 104, 107 to 114 and 116 to 130 of the Indian Railway Act, 1890 (No. 9 of 1890) arising within the Railway Lands runing through the territories of Civil Districts shown in Column No. (4) of the said table with effect from the date of his assumption of charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Magistrate First Class (2)	Head Quarter (3)	Local Area (4)
1.	Shri Narendra Singh Chawla	Bilaspur	Bilaspur, Raigarh Surguja at Ambikapur, Raipur.

The earlier order No. 771/III-6-1/2000, dated 31-1-2002 issued by this High Court is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 15 फरवरी 2002

क्रमांक 1158/तीन-6-6/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या क्र. 1/8/79/21-ब (एक), दिनांक 21 नवम्बर 1995 के द्वारा —

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944.
2. विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992.
3. कम्पनी अधिनियम, 1956.
4. धनकर अधिनियम, 1957.
5. दानकर अधिनियम, 1958.
6. आयकर अधिनियम, 1961.
7. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962.
8. निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963
9. कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964.
10. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969, एवं
11. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973.

के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिए स्थापित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के रूप में निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में निर्दिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को स्तम्भ क्रमांक (3) में निर्दिष्ट मुख्यालयों पर स्तम्भ क्रमांक (4) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक (1)	विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के नाम (2)	मुख्यालय (3)	स्थानीय अधिकारिता (सिविल जिला) (4)
1.	श्री एन. के. चंद्रवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	बिलासपुर	बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा-स्थान अंबिकापुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्रीमती रजनी दुबे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	दुर्ग	दुर्ग-राजनांदगांव
3.	श्री रविशंकर साय, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	रायपुर	रायपुर, बस्तर स्थान जगदलपुर

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पूर्व में जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक ए/3695/तीन-10-40/78 (आर्थिक अपराध) दिनांक 23-5-1998 (जहां तक उसका संबंध बिलासपुर/दुर्ग/रायपुर पर नियुक्ति से है) निरस्त की जाती है.

Bilaspur, the 15th February 2002

No. 1158/III-6-6/2001.—In exercise of powers Conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the Judicial Magistrates specified in Column No. (2) of the Schedule below as Presiding Officers of the Courts of Special Judicial Magistrates First Class established by the Government of Madhya Pradesh under the proviso to Sub-section (1) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. F-1/8/79/XXI-B (1), dated 21st November, 1995 with their head quarters specified in the corresponding entry in Column No. (3) for the area specified in Column No. (4) of the schedule from the date they assume charge of their offices for the trial of cases relating to the offences punishable under :—

1. The Central Excise and Salt Act, 1944.
2. The Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.
3. The Companies Act, 1956.
4. The Wealth Tax Act, 1957.
5. The Gift Tax Act, 1958.
6. The Income Tax Act, 1961.
7. The Customs Act, 1962.
8. The Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963.
9. The Companies (Profits) Surtax Act, 1964.
10. The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, and
11. The Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

TABLE

S. No. (1)	Name of the Presiding Officer of the Special Court (2)	Head Quarter (3)	Local Area (Civil Districts) (4)
1.	Shri N. K. Chandravanshi, Chief Judicial Magistrate.	Bilaspur	Bilaspur, Raigarh, Surguja at Ambikapur.
2.	Smt. Rajni dubey, Chief Judicial Magistrate.	Durg	Durg, Rajnandgaon.
3.	Shri Ravi Shankar Sai, Additional Chief Judicial Magistrate.	Raipur	Raipur, Bastar at Jagdalpur

The earlier High Court of M. P., Jabalpur, Notification No. A/3695/III-10-40/78 (Economic Offences) dated 23-5-1998 (so far as it relates to appointment at Bilaspur/Durg/Raipur) is hereby cancelled.

बिलासपुर दिनांक 28 फरवरी 2002

क्रमांक 1423/तीन-6-1/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम क्रमांक 2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना क्रमांक 2996/तीन-6-1/2000, दिनांक 26 जुलाई 2001 को अतिष्ठित करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी को रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 (सन् 1966 का 29) एवं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (सन् 1890 का 9) की धारा 47, 100, 101, 102, 104, 107 से 114 तथा 116 से 130 के अंतर्गत रेलभूमि के उस भाग, जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित हैं, में होने वाले अपराधों के विचारण के लिये छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3403/इक्कीस-ब (छ. ग.)/2001, दिनांक 4 जुलाई 2001 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का 2) की धारा 11 (1) के अधीन निर्मित विशेष न्यायालय का, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम (2)	मुख्यालय (3)	स्थानीय क्षेत्र (4)
1.	श्री जीतेन्द्र कुमार	रायपुर	रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर (जगदलपुर) बिलासपुर.

Bilaspur, the 28th February, 2002

No. 1423/III-6-1/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), and in supersession of its Notification No. 2996/III-6-1/2000, dated 26th July, 2001 the High Court of Chhattisgarh, hereby appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Chhattisgarh under Section 11 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. 3403/21-B (C.G.)/2001, dated 4th July 2001 for trial of offences under the Railway Property (Unlawful Possession) Act 1966 (No. 29 of 1966) and under Secion 47, 100, 101, 102, 104, 107 to 114 and 116 to 130 of the Indian Railway Act, 1890 (No. 9 of 1890) arising within the Railway Lands runing through the territories of Civil Districts shown in Column No. (4) of the said table with effect from the date of his assumption of charge of this office :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Magistrate First Class (2)	Head Quarter (3)	Local Area (4)
1	Shri Jitendra Kumar	Raipur	Raipur, Durg, Rajnandgaon, Bastar (Jagdalpur), Bilaspur.

Bilaspur, the 28th February 2002

No. 1433/II-3-1/2002 (Pt. II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judges, Class-I and Judicial Magistrates First Class as specified in Column No. 2 from the place shown in Column No. 3 in the same capacity and posts them at the place and post mentioned against their respective names in Column No. 4 and 6 respectively from the date they assume charge of their Office, viz :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	District H. Qrs. (5)	Remarks (6)
1.	Shri Rakesh Bihari Ghore.	Raipur	Ambagarh-Chowki.	Rajnandgaon	As Civil Judge, Class-I in the vacant court.
2.	Smt. Amrita Sanjay Lal	Bilaspur	Korba	Bilaspur	As II Civil Judge, Class-I in the vacant court.
3.	Shri Kanwar Lal Charyani.	Jagdalpur	Manendra-garh.	Surguja	As Civil Judge, Class-I in the vacant court.
4.	Shri Sanjay Kumar Jaiswal.	Raipur	Baloda-Bazar.	Raipur	As Civil Judge, Class-I in the vacant court.

Bilaspur, the 28th February 2002

No. 1435/II-3-1/2002 (Pt. III).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judges, Class-II and Judicial Magistrate First Class as specified in Column No. 2 from the place shown in Column No. 3 in the same capacity and posts him at the place and post mentioned against his respective name in Column No. 4 and 6 respectively from the date he assumes charge of his Office, viz :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	District H. Qrs. (5)	Remarks (6)
1.	Shri Vinod Kumar Dewangan.	Ambagarh-Chowki.	Raipur	Raipur	As XII Civil Judge, Class-II in the vacant court.

Bilaspur, the 15th April 2002

No. 2360/II-1-1/2002.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 11017/2/2002-US. II, dated the 28th March, 2002 of Government of India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Justice), New Delhi, the Hon'ble Shri Justice Prakash Chandra Naik, Judge of the Orissa High Court has assumed charge of office of the Judge of High Court of Chhattisgarh in the forenoon of 15th April, 2002.

By order of Honable the Chief Justice,
B. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 1 मार्च 2002

क्रमांक 1468/तीन-6-1/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री जितेन्द्र कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर जो राजस्व जिला रायपुर में पदस्थापित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों को संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
ए. के. पण्डा, एडीशनल रजिस्ट्रार

निर्वाचन आयोग भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 22 मई 2002

फा. क्रमांक 03/04/2001/641.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2002/Jud. III, दिनांक 2 मई, 2002 सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

अजय सिंह,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 2 मई, 2002—12 वैशाख, 1924 (शक)

अधिसूचना

सं. 56/2002 (iii)/न्यायिक-III.—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा (2) के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग समय-समय पर यथा संशोधित तारीख 10 जनवरी, 2002 को अपनी अधिसूचना सं. 56/2002/न्यायिक-III में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

I. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी—II (राज्यीय दल) में :—

(i) स्तम्भ 2 के नीचे क्रम सं. 21 में प्रविष्टि "उत्तर प्रदेश" के सामने स्तम्भ 3 के नीचे विद्यमान प्रविष्टि को संख्यांकित किया जाएगा और "1 समाजवादी पार्टी" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा और उक्त दल से संबंधित प्रविष्टियों के नीचे, स्तम्भ 3, 4 और 5 के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः जोड़ी जाएगी;

"2. राष्ट्रीय लोक दल — हस्तचालित पम्प — 15, विंडसर प्लेस, नई दिल्ली—110001"

(ii) स्तम्भ 2 के नीचे क्रम सं. 22 में प्रविष्टि "उत्तरांचल " के सामने, स्तम्भ 3 के नीचे विद्यमान प्रविष्टि को संख्यांकित किया जाएगा और "1 समाजवादी पार्टी" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा तथा उक्त दल से संबंधित प्रविष्टियों के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियों को स्तम्भ 3, 4 और 5 के रूप में जोड़ा जाएगा.

"2. उत्तराखण्ड क्रान्ति दल — बाद में अधिसूचित किया जाएगा — सेन्ट्रल ऑफिस, पंचकुटी मलीताल, नैनीताल (उत्तरांचल)."

II. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी—III में (रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त दल)

(i) क्रम सं. 569 में विद्यमान प्रविष्टियों के बाद स्तम्भ 1, 2 और 3 के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः जोड़ी जायेंगी :—

"570"	अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (सेक्युलर).	खारी कुआं मुघलपुरा फ्रस्ट, मुरादाबाद-244001 (उ. प्र.)
"571"	अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस	8-3-323 अमृतपेट, क्रास रोड, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश.
"572"	बारक वैली टेरीटोरी डिमांड कमेटी	स्वराज भवन, सिलेहर रोड, पो. ऑ.-थाना और जिला-करीमगंज, पिन-788711, असम.
"573"	भारतीय पीपुल्स एण्ड नेशनल सेक्युरिटी नेशनल पार्टी.	मार्फत होटल नन्दा, 5वॉ क्रास गांधीनगर, बंगलोर-560009, कर्नाटक.
"574"	जन उन्नयन मंच	मार्फत डोलफिन इंजिनियरिंग कम्पनी, सेक्सपेयर सरणी, 5वॉ तल, कोलकाता-700017, पश्चिम बंगाल.
"575"	खासी फामर्स डेमोक्रेटिक पार्टी	मालकी चीनापट्टी, शिलांग-793001, मेघालय.

"576"	निस्साबादा भूरिपक्षम	113, पट्टूकल शापिंग काम्पलैक्स, द्वितीय तल, ईस्ट फोर्ट, त्रिवेन्द्रम फोर्ट, पो.-त्रिवेन्द्रम केरल.
"577"	राजीव मक्कल कांग्रेस	नं.-16 (पुराना नं. 18), विश्वनाथपुरम, III स्ट्रीट, कोडामबक्कम, चेन्नई-600024, तमिलनाडु.
"578"	राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी	टी. ए.-137/3, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019.
"579"	राष्ट्रीय मानव अधिकार कांग्रेस पार्टी	17/700, ग्राम-गोपालपुर, पो.-आजादपुर (तिमारपुर), दिल्ली-110009.
"580"	राष्ट्रीय समाधान पार्टी	ग्राम-सतीगाधा, पो. ऑ.-अनुलिया, जिला-नदिया, पश्चिम बंगाल-741201.
"581"	स्वराज दल	नं.-4, स्टाप, पाट्टर गुड्डा पोस्ट गाराहेहाराम, पोर्ट ब्लेयर-744101, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह.
"582"	दि कम्स्यूमर पार्टी ऑफ इंडिया	देशमुखवाडी काम्पलैक्स, पी. के. रोड और जावेर रोड जंक्शन मुलुन्ड (पश्चिम) मुम्बई-400080, महाराष्ट्र.
"583"	विदर्भा विकास पार्टी	ब्लॉक ए., सेकेंड फ्लोर, पूनम चैम्बर्स, छिन्दवाड़ा रोड, नागपुर-13, महाराष्ट्र.
"584"	भारतीय एकलव्य पार्टी	गांव व पो.-बल्हार कलां, तहसील मेहडावल, जिला-संत कबीर नगर, उत्तरप्रदेश.

(ii) क्रम संख्या 58 के सामने, स्तम्भ 3 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर "शान्ति होम्योपैथिक स्टोर, आर्य समाज चौक, वदायुं उत्तर प्रदेश" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी.

(iii) क्रम संख्या 473 के सामने, स्तम्भ 3 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर "मुकुन्द निवास, इंडिया नगर, लातुर-413572 (महाराष्ट्र)" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी.

(iv) क्रम संख्या 61 के सामने, स्तम्भ 3 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर "संख्या 7 कामराजार स्ट्रीट, पल्लीक्कारानै, चेन्नई-601302 (तमिलनाडु)" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी.

(v) क्रम संख्या 77 के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर "राष्ट्रीय सामन्त दल" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएँगी.

(vi) निम्नलिखित दलों से संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, 18 अखिल भारतीय जागरूक नागरिक दल, 54 ऑल इंडिया यूथ अकाली दल, 127 भारतीय राष्ट्रीय संघ, 215 गुजरात जनता परिषद्, 240 इंडियन नेशनल पार्टी, 319 एम.जी.आर. अन्ना डी. एम. कड़गम, 339 मानव विकास पार्टी, 348 मार्क्सिस्ट एंजालिसिस्ट लेननिस्ट प्रोलेटेरियट हेल्थ कम्यून, 434 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दलित पार्टी, 453 राष्ट्रीय लोक दल, 469 राष्ट्रीय वाल्मीक मजदूर मोर्चा, 489 समाजवादी दल और 556 उत्तराखंड क्रान्ति दल.

(vii) क्रम संख्या 182, 270, 271, 273 और 485 के सामने स्तम्भ 3 के नीचे "बिहार" प्रविष्टि के स्थान पर "झारखंड" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी.

III. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी iv (मुक्त प्रतीकों की सूची) में, क्रम संख्या 45 पर "हस्तचालित पम्प" का लोप किया जाएगा.

आदेश से,
हस्ता/-
(ए. के. मजुमदार)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated 2nd May, 2002—12 Vaisakha, 1924 (Saka)

NOTIFICATION

No. 56/2002 (iii)/Jud.-III.—In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby makes the following amendments to its Notification No. 56/2002/Jud-III, dated 10th January, 2002, namely :—

I. In Table II (State parties), appended to the said Notification :—

(i) against the entry "Uttar Pradesh" at serial number 21, under column 2, the existing entry under column 3 shall be numbered and substituted as "1. Samajwadi Party", and below the entries relating to the said party, the following entries shall be inserted under columns 3, 4 and 5 respectively;

"2.	Rashtriya Lok Dal	Hand Pump	15, Windsor Place, New Delhi-110001.".

(ii) against the entry "Uttaranchal" at serial number 22, under column 2, after the existing entry, under column 3 shall be numbered and substituted as "1. Samajwadi Party" and below the entries relating to the said party, the following entries shall be inserted under columns 3, 4 and 5 respectively;

"2.	Uttarakhand Kranti Dal.	To be notified later	Central Office, Panchakuti, Malital, Nainital, (Uttaranchal)"

II. In Table III (Registered un-recognised parties) appended to the said Notification :—

(i) After the existing entries at serial number 569, the following entries shall be inserted under column 1, 2 and 3 respectively :—

"570"	Akhil Bharatiya Muslim League (Secular)	Khari Kuan, Mughalpura Ist, Muradabad-244001, Uttar Pradesh.
"571"	Ambedkar National Congress	8-3-323, Amreetpet Cross Road, Hyderabad (Andhra Pradesh).
"572"	Barak Valley Territory Demand Committee	Swaraj Bhawan, Silchar Road, P. O., P. S. and District-Karimganj, Pin-788711, Assam.
"573"	Bharatiya Eklavya Party	Village and Post Belhar Kalan, Tehsil Mahdawal, District Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh.
"574"	Bharatiya Peoples and National Security National Party.	C/o Hotel Nanda, 5th Cross Gandhinagar, Bangalore-560009 (Karnataka).

"575"	Jana Unnayan Mancha	C/o Dolphin Engineering Co., 52 A, Shakespeare Sarani, 5th Floor, Kolkatta-700017 (West Bengal)
"576"	Khasi Farmers Democratic Party	Malki Chinapatty, Shillong-793001, Meghalaya.
"577"	Nissabada Bhooripaksham	113, Pattukal Shopping Complex, IInd Floor, East Fort, Trivendrum Fort P. O. Trivendrum, Kerala.
"578"	Rajiv Makkal Congress	No. 16 (Old No. 18), Viswanathapuram, III Street, Kodambakkam, Chennai-600024, Tamil Nadu.
"579"	Rashtriya Bahujan Congress Party	TA-137/3, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019.
"580"	Rashtriya Manav Adhikar Congress Party	17/700, Village-Gopalpur, Post-Azadpur (Timarpur), Delhi-110009.
"581"	Rashtriya Samadhan Party	Village-Satigachha, P.O. Anulia, District Nadia, West Bengal-741201.
"582"	Swaraj Dal	No. 4 Stop, Pattar Gudda, Post-Garaheharama, Port Blair-744101 (Andaman & Nicobar Islands).
"583"	The Consumer Party of India	Deshmukhwadi Complex, P.K. Road and Zaver Road Junction, Mulund (West), Mumbai-400080 (Maharashtra).
"584"	Vidarbha Vikas Party	Block A, Second Floor, Poonam Chambers, Chhindwara Road, Nagpur-13 (Maharashtra)"

(ii) against the serial number 58, the existing entries under column 3, shall be substituted by the entries, "Shanti Homeopathic Store, Arya Samaj Chowk, Badayu, Uttar Pradesh";

(iii) against the serial number 473, the existing entries under column 3, shall be substituted by the entries, "Mukund Niwas, India Nagar, Latur-413512 (Maharashtra)";

(iv) against the serial number 61, the existing entries under column 3, shall be substituted by the entries, "No. 7, Kamarajar Street, Pallikkaranai, Chennai-601302 (Tamil Nadu)";

(v) against the serial number 77, the existing entries under column 2, shall be substituted by the entries, "Rashtriya Samanta Dal";

(vi) the entries relating to the following parties shall be deleted :—

18 Akhil Bharatiya Jagrook Nagrik Dal, 54 All India Youth Akali Dal, 127 Bharatiya Rashtriya Sangh, 215 Gujarat Janata Parishad, 240 Indian National Party, 319 M. G. R. Anna D. M. Kazhagam, 339 Manav Vikas Party, 348 Marxist Engelsist Leninist Proletariat Health Commune, 434 Rashtriya Alpsankhyak Dalit Party, 453 Rashtriya Lok Dal, 469 Rashtriya Valmik Mazdoor Morcha, 489 Samajwadi Dal, and 556 Uttarakhand Kranti Dal;

(vii) against serial numbers. 182, 270, 271, 273 and 485, the entry "Bihar" under column 3, shall be substituted by the entry "Jharkhand"

III. In Table IV (List of free symbols), appended to the said Notification, the entry "Hand Pump" at serial number 45, shall be deleted.

By Order,

Sd/-
(A. K. MAJUMDAR)
Secretary.